अतारांकित प्रश्न क्र. - 1022 परिशिष्ट - अ
[19/2/2026]

प्रश्न सं. [क. 1022]

[1][(1-ख) उप नियम (1क) द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन जहां तक कि उनका सम्बन्ध उक्त नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत मंजिली गाडियों से है, उनके सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे ।]

(2) लोक सेवा यान के सम्बन्ध में अनुज्ञा-पत्र इस शर्त के अधीन रहेगा कि उसका धारक ऐसे यान पर यात्रियों का सामान समुचित मात्रा में ले जाने के लिए उसे सुरक्षित रखने तथा वर्षा से बचाने के लिए उसमें व्यवस्था करेगा।

(3) माल यान से सम्बन्धित अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों में से एक या अनेक शर्तों के अधीन होगा,-

(एक) यह कि किसी ऐसे वर्ग या विवरण का माल ले जाने के लिए, जो किसी विधि या किसी नियम या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में माल के आयात, निर्यात या परिवहन को विनियमित करने के लिए प्रतिबंधित करता हो, यान का उपयोग नहीं किया जाएगा;

(दो) यह कि यान में ले जाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी;

(तीन) यह कि कोई भी माल प्रतिहस्तांक्षर करने वाल राज्य में पूर्ण रूप से स्थित किसी दो बिंदुओं के बीच में चढ़ाया या उतारा नहीं जाएगा ।

(4) प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र में यह शर्त होगी कि कर मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) तथा उसके बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार यान के सम्बन्ध में कर संदत्त किए जाएंगे। जब परिवहन प्राधिकारी द्वारा कर का संदाय न करने के कारण अनुज्ञा-पत्र का निलंबन किया जाएगा तो ऐसे निलंबन का आदेश उस समय तक प्रवृत्त रहेगा जब कि कर अनादत्त बना रहे और यान पर बकाया कर का संदाय होने पर तत्काल अप्रवर्तनीय होगा ।

78. मंजिली गाड़ी पर माल का ले जाया जाना-(1) नियम 80 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए माल को मंजिली गाड़ी की छत पर उस प्रयोजन के लिए पृथक् रखे गए ह्यूट, लाकर या कम्पार्टमेंट में ले जाया जा सकेगा, परन्तु जहाँ उसे छत पर ले जाया जाए वहाँ संरक्षक जंगला (गार्ड रेल) और जलरोधी आवरण के रूप में पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी ।

(2) किसी भी मंजिली गाड़ी में माल इस प्रकार नहीं ले जाया जाएगा जिससे कि प्रवेश मार्ग या निर्गम मार्ग में कोई रुकावट आवे ।

(3) दो तल वाली मंजिली गाड़ी के ऊपरी मंजिल पर कोई माल नहीं ले जाया जाएगा ।

(4) उपनियम (3) तथा नियम 81 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अनुज्ञा-पत्र में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसरण में किसी भी समय मंजिली गाड़ी में माल ले जाया जा सकेगा :

परन्तु यह तब जबकि धारक द्वारा अनुज्ञा-पत्र की शर्तों के अनुसार यात्रियों को ले जाने सम्बन्धित अपनी बाध्यता का निर्वहन किया गया है ।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ.-22-13-15-आठ, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015 द्वारा उपनियम (1-ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित। म.प्र. राजपत्र (असाधारण), दिनांक 28.02.2015, पृष्ठ 1043-1044 (1) पर प्रकाशित । प्रतिस्थापन के पूर्व खण्ड (1ख) निम्न प्रकार था :

"(1ख) उपनियम (1क) द्वारा अधिरोपित निर्बंधन जहां तक कि उनका सम्बन्ध उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत मंजिली गाड़ियों से है, उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 24 नवम्बर, 2010 से चार माह की कालावधि तक प्रवर्तित नहीं होंगे ।"

Scanned with CamScanner

(5) जहाँ मंजिली गाड़ी में यात्रियों के अतिरिक्त माल ले जाया जाए वहाँ माल इस प्रकार का होगा और उसे इस प्रकार पैक किया जाएगा और यान पर इस प्रकार सुरक्षित रूप से रखा जाएगा कि जिससे किसी भी यात्री को कोई खतरा, असुविधा या त्रास न हो तथा प्रवेश द्वार और निर्गम द्वार की पहुँच तक कोई बाधा नहीं हो ।

(6) जहाँ एक तल वाली मंजिली गाड़ी या दो तल वाली मंजिली गाड़ी के निचले तल का सम्बन्ध है किसी मंजिली गाड़ी में ले जाने वाले माल का वजन (आर-पी) x 75 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण-"आर" यान की रजिस्ट्रीकृत यात्रियों के बैठने की क्षमता है और "पी" यान पर ले जाए जाने वाले यात्रियों की वास्तविक संख्या है ।

79. ठेका गाड़ी पर माल ले जाए जाने का प्रतिषेध-प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी माल ले जाए जाने के लिए किसी ठेका गाड़ी का उपयोग निम्नलिखित स्थिति के सिवाय प्राधिकृत नहीं करेगा--

(क) विशिष्ट अवसरों पर विशेष कारणों तथा अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अधीन; या

(ख) यदि अनुज्ञा-पत्र में, यान को भाड़े पर लेने वाले व्यक्ति के वैयक्तिक, कार्यालयीन या घरेलू चीज वस्तु का ले जाया जाना इस प्रकार से प्राधिकृत किया गया हो किन्तु सामान्य व्यापारिक माल का ले जाया जाना प्राधिकृत नहीं किया जाएगा ।

80. मंजिली गाड़ी में व्यक्तिगत सामान का ले जाया जाना-नगरपालिक क्षेत्रों के भीतर अन्य रूप से प्रचालित की जाने वाली मंजिली गाड़ी सेवा के अतिरिक्त मंजिली गाड़ी का यात्री पन्द्रह किलोग्राम से अनधिक सामान और व्यक्तिगत चीज वस्तु, निःशुल्क ले जाने के लिए हकदार होगा ।

81. मालयानों में पशुओं का ले जाया जाना-(1) किसी भी पशु को सार्वजनिक स्थान में मालयान में तब तक नहीं लाया, ले जाया जाएगा जब तक कि--

(एक) बकरी, भेड़, हिरण या सुअर के मामले में यान में ऐसे पशु के प्रति पाँच नग के लिए न्यूनतम एक वर्गमीटर फर्श स्थान की व्यवस्था न कर दी गई हो ;

(दो) किसी अन्य पशु के मामले में--

(क) यान में ऐसे पशु के प्रति नग के लिए न्यूनतम फर्श स्थान 2 x1 मीटर और ऐसे पशु के एक शावक के लिए जिसने दूध पीना बंद कर दिया हो ऐसे फर्श स्थान के आधे फर्श स्थान की व्यवस्था न कर दी गई हो;

(ख) यान का माल रखने का स्थान सभी दिशाओं में यान के तल से कम से कम डेढ़ मीटर ऊँचाई तक मजबूत लकड़ी के फलकों या लोहे की चादरों से घिरा हुआ न हो;

(ग) पशु फिसलने से बचने के लिए फर्श पट्टियों की व्यवस्था न कर दी गई हो;

(घ) बाहर निकले हुए ऐसे प्रत्येक भाग को जिसके कारण पशु को चोट पहुँचने की सम्भावना हो, हटा न दिया गया हो; और

(ङ) यान के चारों ओर रस्सियाँ बाँधकर पशुओं को उचित तौर पर सुरक्षित न कर लिया गया हो ।

स्पष्टीकरण-इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "पशु" में बकरियां, भेड़ें, भैंस, साँड, बैल, गाय, हिरण, घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे, सुअर और उनके शावक सम्मिलित हैं ।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग

Scanned with CamScanner